राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर 0141–2227275, ई–मेल seprd1235@gmail.com

क्रमांक एफ 4 (1054) पराविं/पीसी/पालडी एम/जर्जर सम्पति भवन/2022/294 जयपुर दिनांकः– 14/02/23

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद समस्त।

विषयः– पंचायती राज संस्थाओ के स्वामित्व वाले सरकारी जर्ज़र भवनो को ध्वस्त करने के संबंध मे।

प्रसंगः– विभागीय पत्र कमांक 618 दिनांक 13.04.2012।

महोदय,

पंचायती राज संस्थाओ के स्वामित्व वाले जीर्णशीर्ण/अनुपयोगी/असुरक्षित भवनो को को ध्वस्त कर उनके स्थान पर नवीन भवन निर्माण किये जाने के प्रस्ताव समय समय पर विभाग को जिलों से प्राप्त होते रहते है। पूर्व मे इस कम मे विभागीय पत्र कमांक 618 दिनांक 13.04.2012 द्वारा ग्राम पंचायतो के जीर्णशीर्ण/अनुपयोगी/असुरक्षित भवनो को ध्वस्त किये जाने के संबंध मे निर्देश जारी किये गए हैं।

उक्त आदेशो को अतिकमित कर, पंचायतीराज संस्थाओ के स्वामित्व वाले सरकारी जीर्णशीर्ण/अनुपयोगी एवं असुरक्षित भवनो को ध्वस्त करने के लिये गठित निरीक्षण दल को निम्नानुसार पुर्नगठित किया जाता है–

1. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, , जिला परिषद
2. संबंधित अधीक्षण अभियंता/अधिशाषी अभियंता पी.डब्ल्यू.डी., जिला परिषद
3. अधिशाषी अभियंता (सिविल), जिला परिषद
4. लेखाधिकारी, जिला परिषद

उक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर जिला कलेक्टर पंचायतीराज राज संस्थाओ के स्वामित्व वाले भवन गिराने की अनुमति/आदेश प्रदान करेंगे। अनुमति/आदेश जारी होने के उपरांत ही जीर्णशीर्ण/अनुपयोगी एवं असुरक्षित भवन को ध्वस्त करने की कार्यवाही की जावे।

(अतिरिक्त मुख्य सचिव)
ग्रा.वि.प.रा.वि.

2920
21/2/23
पंचायत
16-2-2023

D:\MADHU BALA\letters from april 2022.docx

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय ग्राविपरावि।
2. निजी सचिव,अति0 मुख्य सचिव, ग्राविपरावि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, ग्रावि विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, पंराज विभाग।
5. आयुक्त, महात्मांगांधी नरेगा।
6. निजी सचिव, आयुक्त, पंराज विभाग।
7. अधीक्षण अभियंता ग्रावि विभाग।
8. जिला कलेक्टर समस्त।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् समस्त।
10. अति मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् समस्त।
11. मुख्य अभियंता, सार्व0नि0वि0, जयपुर।
12. अधिशाषी अभियंता (अभियांत्रिकी),जिला परिषद समस्त।
13. लेखाधिकारी जिला परिषद समस्त।
14. ACP, PRD को उक्त दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु

अधीक्षण अभियन्ता

D:\MADHU BALA\letters from april 2022.docx

Scanned with OKEN Scanner